राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 36/19 दायर दिनांक 07.11.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. श्रीमती जमना पुत्री स्व0 काना पत्नि बिरदा
2. नानूराम पुत्र स्व0 काना
3. राजूड़ी पत्नि छोटूराम
4. रामावतार पुत्र छोटूराम
5. ववलू पुत्र छोटूराम
6. श्योजीराम पुत्र स्व0 काना
7. लालाराम पुत्र स्व0 काना

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम थल तहसील रूपनगढ़

.....वादीगण

बनाम

1. जीतूराम पुत्र अमरचन्द
2. श्रीमती पूजा पुत्री अमरचन्द
3. श्योराम पुत्र वोदू
4. सूजा पुत्र ओंकार
5. हरिराम पुत्र गंगाराम
6. श्रीमती विदाम पत्नि गंगाराम
7. हनुमान पुत्र सुवा
8. हीरालाल पुत्र मांगू
9. श्रीमती इंद्रा देवी पत्नि श्रवण
10. सूरजकरण पुत्र नाथू
11. हरदयाल पुत्र नाथू
12. श्रीमती नौसर पत्नि अमरचन्द
13. सुगना पुत्र विरदा
14. रतनलाल पुत्र पांचू
15. मदनलाल पुत्र पांचू
16. श्रीमती समौत्रा पुत्री पांचू
17. श्रीमती सुप्यार पत्नि पांचू

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम थल तहसील रूपनगढ़

18. जरिये शाखा प्रवंधक, वैंक ऑफ वड़ोदा शाखा रूपनगढ़
19. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
20. ग्राम पंचायत थल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत थल रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:20:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 18[illegible] का0अधि01955

सपठित धारा 136 [illegible] 1956

निर्णय दिनांक [illegible]2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 ग्राम थल तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर के स्थायी है। उनके संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ख0न0 435 रकवा 6.3102 है0 ग्राम थल पटवार मण्डल थल तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद वर्णित आराजी ख0न0 435 रकबा 6.3102 है0 है जिसमें वादीगण के स्व0 पिता काना पुत्र बिरदा जाट साकिन थल का 1/12 हिस्सा निहित था तथा ख0न0 436 रकबा 0.2103 है0 गै0मु0 चाह में 1/18 हिस्सा निहित था केवल गै0मु0चाह वादीगण के पूर्वज कांना का नामान्तरकरण खोल दिया है, प्रत्येक वादी का वर्तमान रिकार्ड में 1/90 हिस्सा इन्द्राज है। वाद अधीन कृषि आराजी खसरा नम्बर 435 में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 12 के स्व0 पति अमरचन्द पुत्र बोदू तथा प्रतिवादी संख्या 3 श्योराम पुत्र बोदू तथा अमरचन्द व श्योराम पुत्र बोदू की माता हंगामी पत्नि बोदू जिनका स्वर्गवास हो चुका है उन तीनो का उक्त आराजी में 1/9 हिस्सा था उसमें से 2 बीघा 10 बिस्वा का बैचान पूर्व में कर दिया था, शेष उनके हिस्से की सम्पूर्ण आराजी 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी तथा ख0न0 436 रकाब 0.2103 है0 हाल में उनका हिस्सा 1/18 था का सम्पूर्ण बेचान जरिये रजिस्टर्ड डीड दिनांक 08.09.1999 को 25000/-रू में बैचान कर कब्जा वादीगण के पिता काना पुत्र बिरदा जाट साकिन थल को सम्भला दिया था तब से अपने जीवनकाल तक काना पुत्र बिरदा काबिज चले आ रहे थे उनका स्वर्गवास 08.06.2018 को हो चुका है तथा उनकी पत्नि लाडा देवी का स्वर्गवास 02.03.1990 को हो चुका है एवं उनके विधिक वारिसान पुत्र छोटूराम का स्वर्गवास 24.03.2008 जिनके विधिक वारिसान वादी संख्या 3 लगायत 5 है। वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने पिता दादा ससुर काना पुत्र बिरदा की मृत्यु के बाद उनके हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार निहित हुये है। उक्त क्रय शुदा विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी संख्या 20 ग्राम पंचायत थल द्वारा वादीगण के पूर्वज काना पुत्र बिरदा का विरासत नामान्तरकरण खोल दिया गया किन्तु ख0न0 435 में से जो रजिस्ट्री 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी आराजी जिसका बैचान प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता अमरचन्द तथा प्रतिवादी संख्या 12 के पति अमरचन्द द्वारा तथा प्रतिवादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 12 के पति अमरचन्द, प्रतिवादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 3 की माता हगामी देवी पत्नि बोदू द्वारा दिनांक 08.09.1999 को जो रजिस्ट्री बैचान वादीगण के पिता व दादा व ससुर काना के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा ख0न0 435 रकबा 6.3102 है0 में से अपने 1/9 हिस्सा में शेष कृषि आराजी में से 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी का नामान्तरकरण ग्राम थल द्वारा नहीं खोला गया। नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 20.10.1999 को गै0मु0 चाह में वादीगण के पूर्व काना पुत्र बिरदा के नाम विक्रेतागण के 1/18 हिस्से अनुसार नामान्तरकरण खोल दिया किन्तु कृषि आराजी बाबत काना पुत्र बिरदा के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला गया न ही किसी तरह का नामान्तरकरण खारिज करने का उल्लेख न कर यह लिख कर कि विलेख द्वारा विक्रित रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी को काना के पक्ष में अस्वीकार किया है। वादीगण के पूर्वज काना पुत्र बिरदा अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी पर काबिज रहे उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान काबिज काश्त करते चले आ रहे है। नामान्तरकरण 314 दिनांक 20.10.1999 का आदेश जो उक्त नामान्तरकरण में कृषि आराजी ख0न0 435 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी का नामान्तरकरण नहीं खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण का ख0न0 435 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी बावत दिया गया है वह विधि विरूद्ध है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 व 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 19 (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से प्रकरण में जवाव पेश किया गया। प्राप्त जवाव अनुसार ग्राम थल की वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबंदी संवत 2075 से स्थायी के खाता संख्या 3 में ख0न0 435 रकबा 6.3102 है0 इद्रा देवी पत्नि श्रवण (प्रतिवादी सं0 9) हि0 1/12, काना पुत्र बिरदा हि0 1/12, गमला देवी पत्नि सूरजकरण हि0 7/351, जितूराम पुत्र अमरचन्द (प्रतिवादी सं0 1) हि0 11/2106, दाखां देवी पत्नि सूरजकरण हि0 7/351, नोसर पत्नि अमरचन्द (प्रतिवादी सं0 12) हि0 11/2106, पूजा देवी पुत्री अमरचन्द (प्रतिवादी सं0 2) हि0 11/2106, विदाम पत्नि गंगाराम (प्रतिवादी सं0 6) हि0 1/12, मदनलाल पुत्र पांचूराम (प्रतिवादी सं0 15) हि0 1/36, रतनलाल पुत्र पांचूराम (प्रतिवादी सं0 14) हि0 1/36, [illegible] बोदू (प्रतिवादी सं0 3) हि0 11/702, शिवराम पुत्र सूरजकरण हि0 7/351, सुगना पुत्र बिरदा [illegible] 13) हि0 1/12, सूजा पुत्र ऊंकार (प्रतिवादी सं0 4)हि0 1/18, सुप्यार देवी पत्नि पांचूराम (प्रतिवादी सं0 17) हि0 1/36, सुमित्रा पुत्री पांचूराम (प्रतिवादी सं0 16) हि0 1/36, [illegible] 11/702, हनुमान पुत्र सूवा (प्रतिवादी सं0 7) हि0 1/6, हरदयाल पुत्र नाथू (प्रतिवादी सं0 11) हि0 7/[illegible], हरिराम पुत्र गंगाराम (प्रतिवादी सं0 5) हि0 1/12, हीरालाल पुत्र मांगू (प्रतिवादी सं0 8) हि0 1/12 सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम थल खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:29:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.1999 के अनुसार विक्रेता अमरचन्द, श्योराम पि0 बोदू व हगामी पत्नि बोदू द्वारा ख0न0 435 कुल रकबा 39–00–00 बीघा में अपने हिस्सा 1–16–13 बीघा में से 1–16–10 बीघा व ख0न0 436 रकबा 1–06–00 बीघा किस्म गै0मु0चाह में अपने हिस्से 1/18 का विक्रय काना पुत्र बिरदा के नाम नामान्तरकरण संख्या 314 भरा गया था जिसमें ग्राम पंचायत थल द्वारा निर्णय दिनांक ख0न0 436 रकबा 1–06–00 बीघा में विक्रेतागण के 1/18 हिस्से पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया था एवं ख0न0 435 रकबा 39–00–00 बीघा में विक्रेतागणों के हिस्से में से विक्रित भूमि 1–16–10 बीघा पर क्रेता काना पुत्र बिरदा के नाम अस्वीकार कर दिया गया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.1999 के अनुसार विक्रेता अमरचन्द, श्योराम पि0 बोदू व हगामी पत्नि बोदू द्वारा ख0न0 435 कुल रकबा 39–00–00 बीघा में अपने हिस्सा 1–16–13 बीघा में से 1–16–10 बीघा किस्म गै0मु0 चाह में अपने हिस्से 1/18 का विक्रय काना पुत्र बिरदा के नाम नामान्तरकरण संख्या 314 भरा गया था जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 436 रकबा 1–06–00 बीघा में विक्रेतागणों के 1/18 हिस्से पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया था वं ख0न0 435 कुल रकबा 39–00–00 बीघा में विक्रेतागण के हिस्से में से विक्रित भूमि 1–16–10 बीघा पर क्रेता काना पुत्र बिरदा के नाम अस्वीकार कर दिया था। प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से पी0डब्ल्यू0 1 श्योजीराम व पी0डब्ल्यू 2 महावीर प्रसाद सोनी के शपथ पत्र पर बयान लिये गये। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। चूंकि वादग्रस्त भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विधिवत बैचान किया गया है, इस कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम थल के ख0न0 435 कुल रकबा 39–00–00 बीघा में से 1–16–10 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 12 के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:29:00 IST
Reason: SelfAttested